

प्रेसनोट दिनांक 12-02-2025

1. दिनांक 11.02.2025 को वादी उ०नि० श्री मनीष चतुर्वेदी थाना को०रूदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि आकलीम पुत्र अभिलाख नि० भेलसर थाना को०रूदौली अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 55 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 50/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।